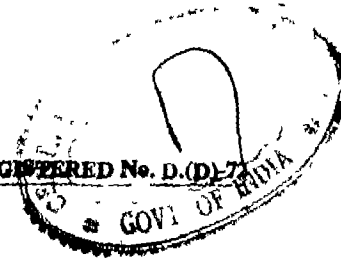


रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 7, 1979/भाद्र 16, 1901
No. 184] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7, 1979/BHADRA 16, 1901

इस भाग में भिन्न एक संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

सामयिक सूचना सं० 62-ई०डी०सी०/(डी०एन०)/79

निर्वात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1979

विषय: नारियल प्रोटीन, नारियल तेल, नारियल आटा और सुकाए हुए नारियल का निर्यात।

विवरण सं० 38/18/79-ई०-II—भारत के असाधारण राजपत्र में उपर्युक्त विषय
पर प्रकाशित निर्वात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई०(सी०)पी०-1977/एएम(134)
दिनांक 7 सितम्बर, 1979 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

600 GL/79

(911)

2. यह निश्चय किया गया है कि तारियल के घाटे और सुखाए हुए तारियल के निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर और तारियल प्रोटीन और तारियल शहद के निर्यात की अनुमति खुला सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दी जाए।

3. तदनुसार निर्यात नीति पुस्तक, 1979-80 के पृष्ठ 28 पर नीति विवरण में क्रम सं० 98 के सामने प्रदर्शित प्रविष्टि के स्थान पर नीचे यथानिर्दिष्ट प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

भाग "ख", अनुसूची

1 के अनुसार

क्रम सं०	वस्तु का विवरण	लाइसेंस नीति
98	तारियल निम्नलिखित :—	
	(1) छिला हुआ पूर्ण तारियल	निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर 24/- रु० प्रति कि०ग्रा० न्यूनतम जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अधीन दी जाएगी।
	(2) तारियल प्रोटीन और तारियल शहद	निर्यात की अनुमति खुला सामान्य लाइसेंस-3 में उल्लिखित अनुसार दी जाएगी।
	(3) तारियल का घाटा	} निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर दी जाएगी।
	(4) सुखाया हुआ तारियल	

सी० वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE No. 62-ETC(PN)/79

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th September, 1979

Subject:—Export of Coconut protein, Coconut honey, Coconut flour and Dried coconut.

F.No. 38/16/79-EII:—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No.E(C)O,1977/AM(134) dated the 7th September, 1979, published in the Gazette of India Extraordinary on the above subject.

2. It has been decided to allow the export of Coconut Flour and Dried Coconut within a limited ceiling and Coconut Protein and Coconut honey under OGL-3.

3. Accordingly the existing entry appearing against S.No. 98 in the Policy Statement at Page 26 of the Export Policy Book 1979-80 shall be substituted as indicated below:—

S. No. as in part 'B' of Sche- dule I	Description of the item	Licensing Policy
98	Coconut, the following:—	
	(i) Decorticated Coconut Whole	Export will be allowed within a limited ceiling subject to minimum f.o.b. value of Rs. 24/- per kg.
	(ii) Coconut protein and Coconut honey	Export will be allowed as provided under OGL-3.
	(iii) Coconut flour	Export will be allowed within a limited ceiling.
	(iv) Dessicated Coconut }	

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports

